जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

F-4(210)pt-19
क्र0 जेपीडी/अधी.अभि./वा0/जेपीआर/प्रे0 714 जयपुर, दिनांक – 10-5-201

आदेश

विषय – पृथ्वीराज नगर में नये विद्युत कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.6(15)नविवि/3/08पार्ट जयपुर, दिनांक 05.05.2012 द्वारा सूचित किया गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की जयपुर–अजमेर रोड़ के उत्तरी व दक्षिणी भाग में आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना के आगे वृहद् आवासीय पृथ्वीराजनगर योजना की अवाप्तशुदा/अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 2914/2008 अनन्त कासलीवाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 04.05.2012 को पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजना में अवैध निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने की दृष्टि से इस योजना में नवीन विद्युत संबंध पर प्रतिबन्ध लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि बगैर विद्युत संबंध के भवन निर्माण गतिविधियां भी संभव नहीं है तथा विद्युत संबंध के अभाव में अवैध रूप से निर्मित भवन में रहवास भी संभव नहीं है।

इस संबंध में निर्देशानुसार, पृथ्वीराजनगर में नवीन विद्युत संबंध जारी करने पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्ध रहेगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारी इसकी पालना तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

10/5/12

(के0 के0 पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

PA/Joshi/JPR

सहायक अभियन्ता(पवस/),
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
.... ।

विषयः– सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम स्थापना पर विद्युत बिल में मिलने वाली छूट के बाबत् । (25 पैसे प्रति यूनिट, अधिकतम 300/–रू.)।

संदर्भ :– प्रार्थी का घरेलू विद्युत कनेक्शन खाता संख्या बिल न......

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे द्वारा अपने घरेलू निवास पर ....लीटर क्षमता का सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम स्थापित किया गया है । विद्युत विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमाक /परिपत्र ....दिनांक............................. के अनुसार घरेलू क्षेत्र में सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम के पश्चात् विद्युत बिल में देय छूट यथा 25 पैसे प्रति यूनिट अधिकतम 300 /– रू. प्रति माह की दर से मेरे उपरोक्त विवरणानुसार विद्युत बिल में छूट का प्रावधान करते हुए बिल बनाये जाने का श्रम करें। अन्य विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	विवरण	
1	नाम	
2	विद्युत कनेक्शन नम्बर/खाता संख्या (बिल प्रति संलग्न)	
3	सोलर वॉटर हीटिंग की क्षमता	
4	सोलर वॉटर हीटिंग का प्रकार ETC/FPC	
5	सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम का मैक	
6	सोलर वॉटर हीटिंग के क्रय का बिल	

अतः निवेदन है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 25 पैसे प्रति यूनिट अधिकतम 300/– रू प्रति माह की दर से विद्युत बिल में मिलने वाली छूट का प्रावधान उक्त घरेलू कनेक्शन हेतु भविष्य में जारी किये जाने वाले 5 वर्षो तक प्रति माह विद्युत बिलों में से छूट दिलवाये जाने की कार्यवाही करें।

हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी
उपभोक्ता/आवेदक का नाम
पिता/पति का नाम
पूर्ण पता जहॉं सिस्टम लगा हुआ है।,

प्रमाणिकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....के निवास.............................पर विवरणाानुसार स्थापित सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम का निरीक्षण कर लिया गया है, निरीक्षण के दौरान सिस्टम चालू स्थिति में था। अतः विद्युत नियमों के अनुसार सोलर वॉटर सिस्टम पर देय छूट दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

सहायक अभियन्ता(पवस) कार्यालय उपयोग हेतु

कार्यालय सहायक अभियन्ता(पवस) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
प्रार्थना पत्र आज दिनांक ....को प्राप्त हुआ
प्राप्ति क्रमाक ....दिनांक

E:\MEENA\Order-1.doc